न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 22/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

परशुराम पुत्र श्री धूरिया जाति मीना निवासी सलेमपुर खुर्द तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार भुसावर दिनांक 28.2.2017 प्रकरण संख्या 42/2016 (91 एल आर एक्ट) सरकार बनाम परशुराम

उपस्थित :
1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार

दिनांक – 3.11.2017

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार भुसावर की आज्ञा दिनांक 28.2.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत 2072 में खसरा नम्बर 1677 रकबा 1–10 विस्बा गै0मु0 पोखर वाकै ग्राम सलैमपुर खुर्द तहसील भुसावर पर अपीलान्ट परशुराम द्वारा जोत, गेंहू की फसल बोकर अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2016 पारित किया गया। जिसके तहत अतिक्रमी/अपीलान्ट को बेदखल करते हुये लगान 3.00 रू0 की पचास गुना पैनल्टी 150 रूपये से दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 1677 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है न ही कोई फसल बो रखी है। अपीलान्ट के खातेदारी के खसरा नम्बर में से कोई खसरा नम्बर विवादित खसरा नम्बर 1677 के आस पास भी स्थित नहीं है। राजस्व कर्मचारियों ने यह समस्त कार्यवाही मात्र पार्टीबन्दी व वर्तमान सरपंच के दबाब में की है। तहत अदालत ने बिना मौके एवं झूठे तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। तहत पत्रावली में ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट ने विवदित खसरा नम्बर 1677 पर किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण कर रखा हो या फसल बो रखी हो। तहत अदालत ने पटवारी हल्का के बयान तक नहीं लिये है। सारी कार्यवाही एकतरफा में अपीलान्ट के खिलाफ की गई है। यह अपीलाधीन आदेश मात्र कयासों के आधार पर पारित किया गया है। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2017 निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्ट/अतिक्रमी ने फसल खरीफ सम्बत 2072 में खसरा नम्बर 1677 रकबा 1–10 विस्बा गै0मु0 पोखर वाकै ग्राम सलैमपुर खुर्द तहसील भुसावर पर अपीलान्ट परशुराम द्वारा जोत, गेंहू की फसल बोकर अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2016 पारित किया गया। जिसके तहत अतिक्रमी/अपीलान्ट को बेदखल करते हुये लगान 3.00 रू0 की पचास गुना पैनल्टी 150 रूपये से दण्डित किया गया है। जो वकायदा न्यायिक प्रकियाएं पूर्ण एवं अतिक्रमी की सुनवाई उपरान्त ही पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है । अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भुसावर के तहत रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा 2072 में खसरा नम्बर 1677 रकबा 1–10 विस्बा गै0मु0 पोखर वाकै ग्राम सलैमपुर खुर्द तहसील भुसावर पर अपीलान्ट परशुराम द्वारा जोत, गेंहू की फसल बोकर अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2016 पारित किया गया। अपीलान्ट का यह कहना कि एकतरफा कार्यवाही है या तथ्यों से परे है सही नहीं है क्यों कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है जिसमें बाद न्यायिक प्रकिया पूर्ण अपीलान्ट का अतिक्रमण सिद्ध होने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना स्पष्ट होता है। तहत पत्रावली की आर्डरशीट पर परशुराम के हस्ताक्षर मौजूद है जिससे यह स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही उसकी मौजूदगी में हुई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण निरस्त योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 28.2.2017 में कोई विधिकत्रुटि प्रमाणित नही होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3.11.2017 को सुनाया गया।

3/11/17

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)